(194)

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2
संख्या–1169/अस्सी–2–2012–02(12)/2000
लखनऊः दिनांकः 07 नवम्बर, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने व रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ कराने, देश व प्रदेश की कृषि आधारित अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विदेशी मुद्रा अर्जित करने के निमित्त प्रदेश से चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात नीति (2012–2017)" लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के चावल उत्पादक/निर्यातक को निम्नलिखित सुविधाएं अनुमन्य होंगीः–

(क) प्रदेश से निर्यात किया जाने वाला समस्त प्रकार का चावल लेवी से मुक्त रहेगा।

(ख) निर्यात किया जाने वाला समस्त प्रकार का चावल तथा उसको उत्पादित करने में प्रयुक्त धान, मण्डी शुल्क व विकास सेस की देयता से मुक्त होगा।

(ग) संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या– क0नि0–2–247/ग्यारह–9 (341)/09–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(58)–2010 दिनांक 24 फरवरी, 2010 में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन चावल को उत्पादित करने में प्रयुक्त धान निर्माता निर्यातक का कच्चा माल होने के कारण निर्माता निर्यातकों द्वारा इससे उत्पादित चावल के भारत के बाहर निर्यात की दशा में उत्पादन में प्रयुक्त धान पर वैट की देयता नहीं होगी।

2. इस नीति के अन्तर्गत अन्य अनुमन्य सुविधाएं निम्नलिखित व्यवस्था के अन्तर्गत देय होंगीः–

(अ) कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की समितियों द्वारा चावल उत्पादक/निर्यातक को गेटपास निर्गत करने में लगने वाले समय से राहत देने हेतु चावल उत्पादक/निर्यातक को बैंक गारन्टी के विरूद्ध एडवांस गेटपास बुक मण्डी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए चावल उत्पादक/निर्यातक को प्रत्येक माह पारेषित की जाने वाली चावल की औसत मात्रा पर देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की धनराशि के समतुल्य मूल्य की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने पर मण्डी समिति द्वारा एडवांस गेटपास पुस्तिका उपलब्ध कराई जायेगी तथा निर्यातित चावल की मात्रा के सत्यापन हेतु नजदीकी पंजीकृत धर्मकांटा की रसीद चावल उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। चावल उत्पादक/निर्यातक मण्डी से प्राप्त एडवांस गेटपास बुक से स्वयं गेटपास जारी करेगा और काउण्टर फाइल मण्डी को यथासमय उपलब्ध करायेगा।

(ब) प्रदेश के डायरेक्ट व इनडायरेक्ट चावल उत्पादक/निर्यातक को निर्यात किये गये चावल से सम्बन्धित बिल आफ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल व 'एच' फार्म की प्रमाणित प्रतियॉ सम्बन्धित मण्डी समिति में प्रस्तुत करनी होगी।

(स) इनडायरेक्ट निर्यातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। ऐसे इनडायरेक्ट निर्यातक को मर्चेन्ट निर्यातक एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, सुपर ट्रेडिंग हाउस के माध्यम से लेटर

(डा0 राम विलास यादव)
अपर निदेशक (प्रशासन)

(राजीव श्रीवास्तव)
निदेशक (प्रशासन/विपणन)

193

ऑफ क्रेडिट (एल0सी0) के विरूद्ध सीधे निर्यातक से चावल निर्यात के पूर्व यह अनुबन्ध करना होगा कि डायरेक्ट निर्यातक, निर्यात हेतु अमुक एल0सी0 के विरूद्ध उनसे अमुक मात्रा में चावल लेंगे तथा अमुक देश को भेजेगें। जिसकी बिल आफ लेडिंग व फार्म 'एच' की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित विभाग को नीति की सुविधाएं प्राप्त कराने हेतु उपलब्ध करानी होगी, मर्चेन्ट निर्यातक एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, सुपर ट्रेडिंग हाउस यह गारन्टी देंगे कि इस नीति की जो सुविधाएं उन्हें मिलेगी वह प्रदेश के इनडायरेक्ट निर्यातक को दे देंगे।

3. सामान्यतः धान में चावल तथा भूसी का अनुपात क्रमशः 2/3 एवं 1/3 होता है इस प्रकार धान से चावल का आदर्श रिकवरी मानक 66.66 प्रतिशत है परन्तु निर्यात दायित्व (एक्सपोर्ट आब्लीगेशन) निर्धारित करने के परिप्रेक्ष्य में बासमती एवं नान बासमती चावल के लिए यह व्यवस्था निम्नानुसार होगीः-

1- बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। यदि चावल मिलर/उत्पादक चाहे तो वह धान से प्राप्त किये गये चावल को उक्त निर्धारित न्यूनतम मानक 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा में आदर्श रिकवरी 66.66 प्रतिशत की सीमा तक भी निर्यात कर सकता है, परन्तु आदर्श रिकवरी मानक और वास्तविक रूप से निर्यातित चावल के अन्तर की मात्रा को स्थानीय/आन्तरिक बिक्री माना जायेगा और इस अन्तर की मात्रा की बिक्री पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय होगा। निर्धारित न्यूनतम मानक 50 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर निर्यातक को मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

2- नान बासमती चावल के मामले में निर्यात दायित्व (एक्सपोर्ट आब्लीगेशन) सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का आदर्श मानक रिकवरी मानक 66.66 प्रतिशत ही निर्धारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में आदर्श रिकवरी मानक 66.66 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर निर्यातक को मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. चावल निर्यात के लिए धान क्रय करने के समय से चावल के वास्तविक निर्यात किये जाने के मध्य समय लगना स्वाभाविक है। निर्यात के दौरान मण्डी समिति के लिए समय समय पर निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं का निर्यातक द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा। जहां तक मण्डी परिषद से संबंधित निर्यात दायित्व का प्रश्न है, जिन मामलों में मिलर द्वारा स्वयं निर्यात किया जा रहा है, उनमें मण्डी समिति द्वारा गेटपास कटने के 180 दिनों के अन्दर बिल आफ लेडिंग/शिपमेन्ट बिल की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान प्राप्ति विवरण का प्रकरण सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत करने पर उनका निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा। जिन मामलों में चावल का निर्यात मिल द्वारा किसी निर्यातक के माध्यम से किया जा रहा है उन मामलों में 'एच' फार्म की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मामलों में मिलर का दायित्व होगा कि गेटपास कटने के 180 दिन के अन्दर बिल आफ लेडिंग/शिपमेन्ट बिल की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान प्राप्त का विवरण का प्रमाण सम्बन्धित विभाग में दाखिल करें तथा तत्पश्चात शिपमेन्ट के 240 दिन में 'एच' फार्म की द्वितीय प्रति सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति को प्रस्तुत करें। यदि मिलर उक्त प्रतियॉ निर्धारित अवधि में देने के लिए असमर्थ होता है, तो बैंक गारन्टी के विपरीत उसको 90 दिन का और अधिक समय दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत करने पर उसका निर्यात दायित्व सम्पूर्ण मान लिया जायेगा। यदि चावल का वास्तविक निर्यात नहीं किया जाता

है तो सम्बन्धित विभागों के नियमों के अधीन मिलर के विपरीत मूल राशि/ब्याज राशि की वसूली के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. प्रदेश के प्रत्येक चावल उत्पादक/निर्यातक को कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2 में अपना निःशुल्क पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, (जैसी स्थिति हो) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष/संयुक्त/उप/अनु सचिव सक्षम प्राधिकारी होगे। बिना पूर्व पंजीकरण के निर्यात नीति की सुविधाएं देय न होंगी। पंजीकरण हेतु चावल उत्पादक/निर्यातक अपने विवरण सहित संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्यातकों के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा। अधूरे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के संबंध में यह समय सीमा समस्त औपचारिकाएं पूर्ण होने के दिनांक से प्रारम्भ होंगी। पंजीकरण पहले 2 माह की अवधि के लिए प्रोविजनल (औपबंधिक) रूप में किया जायेगा। इस अवधि में फर्म से संबंधित निम्न बिन्दुओं को समक्ष प्राधिकारी से भौतिक सत्यापन कराया जायेगाः–

(अ) फर्म अस्तित्व में है अथवा नहीं ?

(ब) फर्म द्वारा चावल का उत्पादन किया जा रहा है अथवा नहीं?

(स) फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन है अथवा नहीं ? यदि है, तो उसकी मान्य अवधि क्या है?

(द) फर्म ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है?

जॉच में विवरण सही पाये जाने पर फर्म का स्थायी पंजीकरण किया जायेगा।

6. प्रदेश के चावल का निर्यात देश के किसी भी बन्दरगाह, वायुमार्ग तथा प्रदेश की सीमाओं पर नोटीफाइड थल मार्ग से किया जायेगा जिसकी सूचना निर्यातक द्वारा शासन के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग को दी जायेगी। ऐसा न करने पर चावल निर्यातक को निर्यात नीति की सुविधाएं अनुमन्य नहीं होगी।

7. प्रदेश से बांग्लादेश तथा नेपाल को किये गये चावल निर्यात को भी निर्यात नीति की सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

8. उत्तर प्रदेश से समस्त प्रकार के चावल का निर्यात विश्व के किसी भी देश को इस नीति के अन्तर्गत किया जा सकता है, चाहे उस देश के साथ व्यापार विदेशी मुद्रा में हो रहा हो अथवा नेपाल तथा बांगलादेश जैसे देशों में, जिनके साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है, को भी चावल निर्यात किया जा सकता है और ऐसी निर्यात को उत्तर प्रदेश चावल निर्यात नीति के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

9. इस नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित की समिति होगी, जो समय–समय पर नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगी तथा चावल निर्यातकों के समक्ष निर्यात में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निवारण करेगीः–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव,कृषि विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य

(191)

4.	प्रमुख सचिव/सचिव,कर एवं निबन्धन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
5.	उत्तर प्रदेश चावल मिलर्स एसोसियेशन के एक प्रतिनिधि।	सदस्य
6.	निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
7.	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य/संयोजक

10. इस नीति के अन्तर्गत चावल निर्यातकों को मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की छूट के प्रकरण पर सम्बन्धित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा छूट अनुमन्य करायी जाती है। सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा छूट के प्रकरणों पर लिये गये निर्णय पर निर्यातक निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रत्यावेदन दे सकते है। निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा निर्यातक के प्रत्यावेदन पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन स्तर पर पुनर्विचार हेतु निर्यातक अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं और शासन स्तर पर लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

11. यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगी।

संलग्नकः—यथोक्त।

देवाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव

संख्या— 1169(1)/अस्सी—2—2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरप्रदेश।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा कर एवं निबन्धन विभाग को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नीति के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गए निर्देशों से अवगत करायेंगे।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन लखनऊ।
10. अपर कृषि निदेशक(चावल)कृषि भवन लखनऊ।
11. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस नीति से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
13. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. आयुक्त, वाणिज्य कर स्टेशन रोड, लखनऊ।
15. समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम, कानपूर।

17. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यु लखनऊ।
18. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 को नीति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
19. उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
20. स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
21. सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य, उद्योग भवन नई दिल्ली।
23. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
24. सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
25. निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार कक्ष संख्या–11, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
26. अध्यक्ष, आल इण्डिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पी0एच0डी0 चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पी0एच0डी0 हाउस (चतुर्थ तल) फेज–1 एशियन गेम्स काम्पलेक्स के पीछे, नई दिल्ली।
27. अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन0सी0यू0आई0बिल्डिंग, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
28. अध्यक्ष, यू0पी0 राइस मिलर्स एसोसिएशन, हेड आफिस 2/10, कलेक्टरगंज (शक्कर पट्टी) कानपुर।
29. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी, लखनऊ।
30. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथासमय उपलबध कराने का कष्ट करें।
31. गाई फाइल।

आज्ञा से

(कमलिनी श्रीवास्तव)
उप सचिव

(189)

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2

"चावल निर्यात हेतु पंजीकरण प्रपत्र"

1– निर्यातक चावल मिल/इण्डस्ट्री का नाम .....

2– पता .....

.....

.....

.....

3– उत्पादन क्षमता (टन में) .....

4– टेलीफोन नम्बर (एस0टी0डी0 कोड सहित)

मिल .....

कार्यालय .....

आवास .....

5– फैक्स नम्बर .....

6– प्रतिनिधि का नाम .....

7– फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण है अथवा नहीं? यदि हां तो पंजीकरण की संख्या .....

8– वाणिज्य कर विभाग से पंजीयन मान्य अवधि कब तक है? (पंजीकरण आदेश की छायाप्रति स्व प्रमाणित करते हुए संलग्न करें) .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

फर्म की मुहर.....

दिनांक.....

"घोषणा"

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये मै स्वयं जिम्मेदार होंऊगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

फर्म की मुहर.....